

## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच0आई0जी० ६४ सेक्टर—डी, मानसरोवर, कानपूर रोड, लखनऊ फोन नं0 : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

#### निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री आई०एच० सिददीकी, अधिकृत हस्ताक्षरी, में0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वितीय तल, एल्डिको कॉरपोरेट चैम्बर-1, विभृति खण्ड, गोमती नगर. लखनऊ।

महोदय.

आपके आवेदन प्रपत्र संख्या-477 दिनांक 02.01.2018 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर, नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ में पूर्व स्वीकृत भू-विन्यास परिमट संख्या-409 दिनांक 20.10.15 एवं परिमट संख्या-424 दिनांक 02.11.2015 के भूखण्ड पर व्यवसायिक भवन (शॉपिंग एलान्ग स्ट्रीट) मानचित्र का मानचित्र क्षेत्रफल 2250.06 वर्गमीटर के अनुसार निर्माण / पुनः परिनिर्माण / मूलभूत परिवर्तन / ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 22) पर आपके आवेदन-पत्र पर व्यवसायिक भवन (शॉपिंग एलाना स्ट्रीट) मानचित्र स्वीकृति दिनांक 04.02.2021 को सक्षम स्तर से प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

(नीलेश सिंह कटियार) सहा० नगर नियोजक

हस्ताक्षर

NEO M निमिषा शर्मा जप महाप्रबन्धक (निक्रीणग्रोबन्धक (परि०)

दिनांक 12/02/2021



### लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

#### लखनऊ।

यंग्या	/ ल0औ0वि0प्रा0	दि0
राज्या	/ (10010140310	190

#### निर्माणार्थ अनुमति - पत्र

यह अनुमित उ० प्र० औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पिठत माडल बिल्डिंग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमित किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमित दी जाती है कि श्री / श्रीमती / एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर, नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ में पूर्व स्वीकृत भू—विन्यास परिमट संख्या—409 दिनांक 20.10.15 के भूखण्ड पर शॉपिंग एलान्ग स्ट्रीट जिसका क्षेत्रफल 2250.06 वर्गमीटर है, का व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दिनांक 02.01.2018 आवेदन पत्र संख्या—477 द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (व्यवसायिक) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 338 / लीडा / सी.ई.ओ. / 2018—19 पर दिनांक 04.02.2021 को सक्षम स्तर से दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0)

प्रबन्धक (परि०)

दिनांक

#### नोट-

- 1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अविध के लिये है। यदि निर्माण आज्ञानुकूल नहीं बनी तो लीडा द्वारा उसे गिरवाया जा सकता हैं अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई निर्माण बिना लीडा की अनुमित प्राप्ति किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उनके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को लीडा द्वारा हटया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन निर्माण बनाने वाले से बसूल किया जायेगा।
- इस अनुमित पत्र के सड़क या गली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे पोर्टिको बारजा, तोड़ा सीढी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर नये निर्माण की स्वीकृति चाहें उसके साथ नक्शे में दिखाई भी गयी हो, नहीं प्रदान की जावेगी। इन निर्माणों के लिये प्राधिकरण अधिनियम की धारा के अनुसार अनुमित प्राप्त करना होगा।
- 3. निर्माण से यदि नाली की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग को निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण टकली गई हो) हानि पहुचे तो यह निर्माण स्वामी को गत तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा तो उसे पहले ही तोडकर अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को संतोष हो जावें में कर देना होगा।
- 4. निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्टिक सिटी रूल्स के निमय 1970 का उल्लंधन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि लीडा की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
- 5. प्रार्थी को नियमानुसार लीडा को निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना निर्माण समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा। यदि सूचना न दी गयी तो यह समझा जायेगा कि निर्माण पूर्ण हो गया।
- 6. यह अनुमित किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी। और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्माण आदि हटावें जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इस लिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण को प्रारम्भ करे।
- आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक / संस्था के विवरण की सूचना लीडा को देनी होगी।
- 8. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी० व आर्की० की देखरेख में निमार्णकार्य कराया जायेगा। तथा समय—समय पर कार्य की प्रगति से लीडा को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये लीडा जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अविध के लिये स्वीकृत किया गया है उस अविध में कार्यपूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस लीडा की भवन नियमावली 2009 के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल पर निर्धारित शुल्क प्रतिवर्ग मी० देय होगा।

De ly

- 10. लीडा के सहा0 प्रबंधक परि0 द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
- 11. लीडा की भवन नियमावली एवं अन्य शर्ते आवेदक को मान्य होगी।
- 12. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।
- 13. अग्निशमन प्रमाण पत्र संख्या—न0—यूपीएफएस/2020/25703/एलसीके/लखनऊ/ 1615/डीडी के शर्ता का अनुपालन किया जायेगा व कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी।
- 14. बृक्षारोपण का अनुपालन किया जायेगा।
- 15. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय—2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।
- 16. अन्य आवश्यक शासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी।
- 17. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा लेबर सेस मॉर्गे जाने पर आवेदक प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
- 18. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा वाहय विकासात्मक शुल्क के सम्बन्ध में कोई देयता होती है तो आवेदक द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- 19. आवेदक को 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 20. आवेदक द्वारा मानचित्र स्वीकृत करते समय जो भी साक्ष्य/प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है, यदि साक्ष्य/प्रपत्र असत्य पाये जाते है तो मानचित्र स्वत निरस्त माना जायेगा।
- 21. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
- 22. प्रस्तुत मानचित्र पूर्व स्वीकृत भू—विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित है। अतः योजना विन्यास के अंदर 16120.00 वर्गमीटर ग्राम समाज की भूमि है जिसे विन्यास के दक्षिण पूर्वीय भाग में एकजाई कर दर्शाया गया है। भूमि को एकजाई किये जाने पर अनापित्त सम्बधित ग्राम सभाओं द्वारा दी गयी है। जिला प्रषासन से सरकारी भूमि के एकजाई किये जाने के सम्बन्ध मे शासनादेश के अनुसार आवेदक द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। एकजाई होने से पहले आवेदक द्वारा विक्रय नहीं किया जायेगा व सरकारी भूमि के एक्जाई कराने की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

पत्र सं0 ...../लीडा/ए०सी०ई०ओ./338

दिनांक

#### प्रतिलिपि-

- 1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- उप महाप्रबन्धक नियोजना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लींडा लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5. संबंधित सहा०प्रबंधक परि० को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्ते के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, कराये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

Hat.

सहा० नगर (नियोजक)

Nimilha वरि0 प्रबन्धक (परि0)



## Uttar Pradesh Fire Service Government Of Uttar Pradesh



Last Updated: 15th JULY 2019

A- A A<sup>+</sup> Google Search

₽Print

Q

# प्रारूप-घ (संलग्नक-3) Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/9246/LCK/LUCKNOW/561/CFO

दिनांक: 18-07-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स Eldeco Housing and Industries Limited (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता Shopping Along Street eldico shaurya ,chandarawal,,natkur, noornagar, bhadarsa, bijnore,lucknow तहसील - sarojninagar जिसमें तलों की संख्या 3 एवं बेसमेन्ट की संख्या 0 है जिसकी ऊँचाई 8.75 mt. तथा प्लाट एरिया 2250.06 sq.mt है। भवन का अधिभोग Eldeco Housing and Industries Limited (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Mercantile के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन मे सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा |"

निर्गत किये जाने का दिनांकः 26-07-2019

स्थान: LUCKNOW

हस्ताक्षर-निर्गमन अधिकारी-(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By (VIJAY KUMAR SINGH)
[EBB963F5E0AA390D836964D18977F9A547AE8F2B]
26-07-2019

Terms & Conditions | Copyright Policy | Hyperlinking Policy | Privacy Policy | National Portal | U.P.

Govt. Dept. site | E-Tender | R.T.I











## # Helpline

+91-9936052710 (मोo. तारिक फारूकी)

+91-9918976188 (श्याम् कनौजिया)

Best viewed with Internet Explorer & 1024 x 768 resolution

Developed by National Informatics Center Uttar Pradesh State Unit.Content Provided & maintained by the Department of Uttar Pradesh Fire Service, Government Of Uttar Pradesh.

Ale Shawya E. C. 18 at 12/07/14

## State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010 Phone: 91-522-2300 541, Fax: 91-522-2300 543

E-mail: doeuplko@yahoo.com Website: www.seiaaup.com

To.

Mr. V.P. Singhal, Advisor (Technical) M/S Eldeco Housing and Industries Ltd., 2<sup>nd</sup> Floor, Eldeco Corporate Chamber-1, Vibhuti Kand, Gomti Nagar, Lucknow.

Ref. No. 98 5 /Parya /1609 /SEAC/2013/AAS

Dated (3) July, 2014

Subject- Environmental Clearance of Proposed Group Housing Eldeco Shaurya at Chandrawal-848, Natkur-624-638, Noor Nagar-Bhadrsa-15, 16SA, 16/2, 39, Bijnaur-1229SA, 1230-1251, District-Lucknow.

Dear Sir,

/

Please refer to your letter dated 10/04/2014 addressed to the Chairman, SEIAA., Directorate of Enviourment, Vineet Khand-I, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered the case in its meeting held on dated 02-05-14 on the basis of replies submitted regarding the information asked in earlier meeting dated 14/08/2013 wherein the committee recommended as follows:-

"the project proponent through their letter dated 19/07/2013 have informed that the proposals only involves the plotted development works. Also, the area of development is less than 50 ha, so there is no need for environmental clearance as of now. They have further informed that the project shall be presented for obtaining environmental clearance as and when the project will be taken up for any construction work. The committee discussed the matter and directed that if the built-up area for proposed plotted development is less than 20,000 sqm, the environmental clearance is not required for the same. However, in case the proposals exceed 20,000 sgm the construction shall only be undertaken after obtaining prior environmental clearance and directed that an environmental clearance may be required for excavation of earth for the purpose of project. The proponent should submit the application in the matter as per EIA notification, 2006 as amended. "

On the basis of information submitted through your letter dated 10/04/2014, the Committee has noted that excavation of soil is required in the project for following purposes:

- For leveling and dressing of the residential plots to bring them to the required level.
- For construction of storm water drainage and for laying sewer and water pipelines, cable line for electrification and development of parks, rain water harvesting and construction of internal roads.

 Also the excavated soil shall be entirely used within the project area and at no point of time, soil will be sent outside the project area and during the project work guidelines of MoEF OM dated 24/06/2013 shall be strictly observed.

The committee also noted the following recommendations of SEAC meeting dated 07/07/2012:-

"that soil excavation is an integral part of building construction and separate environmental clearance is not required for excavation of soil for basement/other construction related activities in construction project proposals for which environmental clearance has been granted or applied. The construction proposals (plot area less than 50 hectares and/or built up area less than 20,000 sqm) are exempted from the requirement of prior environmental clearance as per EIA notification, 2006 soil excavation other than inhouse purposes may be exercised with certain safeguards as follows:

- 1. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
- 2. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
- 3. Water sprinkling should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
- 4. Unused excess soil should be disposed with proper permission from District Administration.
- 5. Disposal of unused soil should only be transported in covered vehicles.
- 6. Excavated area should be properly reclaimed and insured that no open bore hole is left.
- 7. Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of as per . law
- 8. Proposals of soil excavation for "commercial purposes" need the prior environmental clearance.

The committee discussed the matter and deliberated that environmental clearance for soil excavation within the project premises for the purposes as proposed is not required in view of above. The State Level Environment Impact Assessment Authority (123<sup>rd</sup> meeting held on 26-5-2014) agreed with the recommendations of the SEAC as above.

Accordingly, you are hereby informed and directed to strictly follow the guidelines for earth excavation issued through MoEF OM dated 24/06/2013 should also be duly followed, failing which the matter shall attract provisions of violation of Environment (Protection) Act, 1986. In case the proposals exceed constructions of 20,000 sqm (built up area), the construction shall only be undertaken after obtaining prior environmental clearance under EIA Notification, 2006.

(J. S. Yadav) Member Secretary, SEIAA